न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 178/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. जसराज पुत्र बगताराम 2. जेठाराम पुत्र बगताराम 3. मिश्रीलाल पुत्र बगताराम जाति– सुनार निवासी– चामू तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर 2. हल्का पटवारी चामू, तहसील बालेसर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बालेसर ने आदेश क्रमांक 1399 दिनांक 01.06.2018 को पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री मनोहरसिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23 जनवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि ख0सं0 960 रकबा 122 बीघा राजस्व ग्राम चामू में स्थित है उक्त भूमि में किसी प्रकार का सार्वजनिक रास्ता नहीं चलता है तथा इनके पडौस में अन्य खसरा नम्बर की खातेदारी भूमियॉ आई हुई है जिनमें आने जाने के लिये रास्ते हेतु एक मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी चामू के द्वारा तहसीलदार बालेसर को प्रस्तुत की गई तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बालेसर ने अधिनस्थ न्यायालय के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में वर्णित खसरान की भूमि में सार्वजनिक राजस्ता घोषित करने की अनुशंषा की जिस पर उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने धारा 131,132 व 136 एल.आर.एक्ट. के तहत एकतरफा आवेदन पत्र की सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 1.6.18 के द्वारा अपीलार्थीगण की खातेदार भूमि ख0सं0 960 में से 2.15 बीघा तथा 960 रकबा 0.18 बीघा भूमि को सार्वजनिक रास्ते में घोषित करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्ययालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व विधि तथा रेकर्ड के प्रतिकूल होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य हैं। धारा 131. 132 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रास्ता घोषित किये जाने बाबत कोई प्रावधान नहीं है इसके बावजूद रास्ता घोषित कर रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। इसे अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया है जिसमें अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया व न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया, जो मनमाना व क्षेत्राधिकार विहिन आदेश होने से निरस्त करने योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि एक काश्तकार अपनी कृषि भूमि से दूसरी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ते हेतु प्रार्थना करता है तो उसके लिये धारा 251–ए व धारा 88, 89 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रावधान दिये हुए है जिसमें दोनों पक्षों को विधिवत सुनकर आदेश पारित करने एवं सक्षम न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान किया हुआ है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरित हैं तथा उक्त आदेश एक राजकीय परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार पारित किया गया है जिसे विधायिका के पारित कानून से उपर नहीं माना जा सकता है। अपीलाधीन आदेश में उक्त आदेश के साथ संलग्न नजरी नक्शा में जहां पर रास्ता दिखाया गया है तथा उक्त रास्ते को कदीमी से चालू रास्ता बताया गया है जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलान्ट के ख0सं0 960 की भूमि की सीमा पर एक सडक निकलती है जो अन्य काश्तकारों की भूमि के समानान्तर चलती है। ऐसे में पडौसी खातेदारों को किसी प्रकार से रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया गया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2018 के विरूद्ध माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में अपील संख्या 51/2019 पेश होने पर न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.9.19 को आदेश पारित कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अपील वर्णित अपीलान्टस को पर्याप्त सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर देने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त द्वेषभावना पूर्ण रिपोर्ट के आधार पर मनमाने रूप से तथा बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये ही एकतरफा कार्यवाही कर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता घोषित किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य होने से अपास्त किया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि राज्य सरकार के जारी परिपत्र दिनांक 10.8.16 के अनुसार क्षेत्र में संचालित रास्त सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण अभियान, 2016 के तहत चालू सनातन, कदीमी तथा स्थाई रास्ते के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार बालेसर के द्वारा अपीलाधीन आदेश में वर्णित ग्राम चामू व रणजीत सागर के विभिन्न खसरान की खातेदारी भूमि में से चल रहे सार्वजनिक रास्तों को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश करने पर अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उक्त संचालित रास्तों का राजस्व नक्शें में अंकन करने का आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित रास्ता सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश कमांक 1399 दिनांक 01.06.2018 के सम्बन्ध में माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर के द्वारा दिनांक 16.09.2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त निर्णय अनुसार ''अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीया को पर्याप्त सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर देने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।'' अतः पुनः इस अपील प्रकरण में निर्णय पारित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर